संख्या-111/2026/आई/1326722/2026/23-9002(002)/5/2026

प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 के अधीन कृषि विपणन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के 03 मार्गों के स्वीकृत कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पूर्व में कृषि विपणन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के 03 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि के धनावंटन का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-292/दस/2022, दिनांक 13.09.2024 के क्रम में जनपद गोण्डा के 03 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु लागत के पुनरीक्षण के उपरान्त ही अवशेष जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 के अधीन जनपद गोण्डा के 03 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत लागत में वृद्धि के दृष्टिगत कुल लागत रू0 884.16 लाख (रूपये आठ करोड़ चौरासी लाख सोलह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/ पुनरीक्षित लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि	अतिरिक्त जी0एस0टी0 सहित पुनरीक्षित लागत (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11235बी0जी0/07बी(जीएस0टी0)/2025-26, दिनांक 05.02.2026	नि0खं0-2 गोण्डा	आदमपुर मुख्य मार्ग से विशेनपुरवा कलहंसनपुरवा होते हुए बरौली बाजार तक सम्पर्क मार्ग।	238/2016/ 25आ0व्या0वि0नि0/23-10-16-19(व्या0वि0नि0)/16, दि-15.12.2016	467.74 467.74	0.00	467.74	25.23	492.97
2	11235बी0जी0/07बी(जीएस0टी0)/2025-26, दिनांक 05.02.2026	नि0खं0-2 गोण्डा	सोनौली मोहम्मद मुख्य मार्ग से दूबेपुरवा, घटहनपुरवा होते हुए बच्ची माझा प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग।	238/2016/ 25आ0व्या0वि0नि0/23-10-16-19(व्या0वि0नि0)/16, दि-15.12.2016	235.17 235.17	0.00	235.17	13.02	248.19
3	11235बी0जी0/07बी(जीएस0टी0)/2025-26, दिनांक 05.02.2026	नि0खं0-2 गोण्डा	कटुआ नाला से अहिरनपुरवा मितइन पुरवा होते हुए बहराइच सीमा तक सम्पर्क मार्ग।	206/2016/11आ0व्या0वि0नि0/23-10-16-11(व्या0वि0नि0)/16,दि-22.11.2016	134.50 134.50	0.00	134.50	8.50	143.00
								योग	884.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के क्रम में लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 , दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2027 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किया अन्य मद में न किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) यदि प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किय गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(14) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ जी0एस0टी0 की गणना के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(17) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) उक्त परियोजनाओं हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-8-14-X-2026-27 दिनांकः 08-05-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, प्रथम(निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य अभियंता(मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।